संख्या-12 /2022/3776/58-1-21-2/3(27)/05

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2022

विषय: पोषण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी के दो-दो सेट/वर्दी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ निहित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-सी-730/बा0वि0परि0/लेखा/2021-22, दिनांक 15 दिसम्बर,2021, जिसके द्वारा निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-902-05/रा0पो0मि0/बजट/2021-22, दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 की प्रति प्रेषित करते हुए निदेशक, राज्य पोषण मिशन को साड़ियों के क्रय हेतु वांछित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं "पोषण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 तथा समाज कल्याण-102 बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के-80 + राज्य-20-के+रा)" के मानक मद 42-अन्य व्यय मद में धनराशि रु0 27,79,48,800.00 (रु0 सत्ताइस करोड़ उन्यासी लाख अड़तालीस हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पोषण अभियान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त साड़ी के दो-दो सेट/वर्दी उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत उपरोक्त लेखाशीर्षक के मानक मद 42-अन्य व्यय मद में धनराशि रु0 27,79,48,800.00 (रु0 सत्ताइस करोड़ उन्यासी लाख अड़तालीस हजार आठ सौ मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (वित्तीय स्वीकृति सहित), निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) योजनान्तर्गत साड़ी/वर्दी का क्रय न्यूनतम आवश्यकता तथा न्यूनतम दर के आधार पर भारत सरकार/राज्य सरकार की वर्तमान क्रय नीति के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

(4) योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(9) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(10) वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत किये जायें, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई न हो।

(12) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय। योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश/गाइड-लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय पोषण अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02 समाज कल्याण-102 बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0130-नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के-80 + राज्य-20-के+रा)" के मानक मद 42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-3408-दस-2021-22, दिनांक 31.12.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12 /2022/3776 (1)/58-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5 ख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
7. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।